प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 07.04.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गाली गलौज मारपीट के मामले में 04 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के दण्ड व कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन"* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के दण्ड व प्रत्येक को 1500-1500रु0 (कुल 6000 रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती समीना खातून पत्नी मुस्ताक अली निवासी किशुनपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त 1. सत्तार अली पुत्र अजमत अली 2. सकरुन्निशा पत्नी सत्तार अली 3. जहीदा पुत्री सत्तार अली 4. जरीना पुत्री सत्तार अली निवासी किशुनपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी से गाली गलौज, मारपीट के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि श्री रामनयन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 387/2003 धारा 323, 504 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण सत्तार अली, सकरुन्निशा, जहीदा, जरीना उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 323, 504 भादवि में न्यायालय उठने तक के दण्ड व प्रत्येक को 1500-1500रु0 (कुल 6000 रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त03 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन"* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में अजा दिनाँक 07.04.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का दण्ड व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जगदम्बा प्रसाद चौरसिया पुत्र हरि प्रसाद चौरसिया निवासी सोनाड़ी चौराहा हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त नाम पता सुधाकर साहनी पुत्र रामनेवास साहनी निवासी सोनाड़ी चौराहा हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के पुत्र अभय के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जिसे मलौली हास्पिटल ले जाया गया जहाँ डाक्टर ने उनके लड़के अभय को मृत घोषित कर दिया के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 56/2018 धारा 304 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सुधाकर साहनी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 भादवि में 03 वर्ष का दण्ड व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
।

दबिश के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारण्ट जारी होने पर 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** स्थायी वारण्ट जारी वारण्टी अभियुक्त नाम पता सूर्यप्रताप पाण्डेय उर्फ सूरज पुत्र अश्वनी कुमार पाण्डेय निवासी गौरा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगरको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, का0 सूर्य नरायण गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6883 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 6883 पर थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत भगवानपुर से कालर द्वारा दो मोटरसाईकिलों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.सूरज पुत्र बासुदेव ग्राम सांगठ थाना बखिरा जनपद-संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 रामराज, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद तिवारी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 240 वाहनों से 2,50,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 240 वाहनों से 2,50,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।